



पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) तथा भारत

प्रलिस के लयः

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR), जलवायु परवर्तन, UNPRI, BRSR, गरीबी, असमानता

मेन्स के लयः

पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) तथा भारत

चर्चा में क्यों?

वशिवभर में लोग इस वचर को स्वीकार कर रहे हैं कव्यवसाय को [पर्यावरण, सामाजिक और शासन \(ESG\)](#) के पैमाने पर मापा जाना चाहयः, हालाँकि ESG वधि और वनियम अभी भी भारत में प्रारंभिक अवस्था में हैं और इस दशः में बहुत कुछ कया जाना है।

ESG क्या है?

परचयः

- ESG लक्ष्य कंपनी के संचालन के लयः मानकों का एक समूह है जो कंपनयों को बेहतरशासन, नैतिक प्रथाओं, पर्यावरण के अनुकूल उपायों और सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करने के लयः मजबूर करता है।
 - पर्यावरणीय मानदंड इस बात पर वचर करते हैं कः एक कंपनी प्रकृत के प्रबंधक के रूप में कैसा प्रदर्शन करती है।
 - सामाजिक मानदंड जाँच करते हैं कयः कर्मचारयों, आपूर्तकः रत्ताओं, ग्राहकों और उन समुदायों के साथ संबंधों का प्रबंधन कैसा करता है जहाँ ये करयानवतः हैं।
 - शासन एक कंपनी के नेतृत्व, कार्यकारी वेतन, लेखापरीक्षा, आंतरकः नयः रण और शेयरधारक अधिकारों से संबंधतः है।
- यह गैर-वतः तीय कारकों पर ध्यान केंद्रतः करता है, जो नवः श नः रणयों के मार्गदर्शन के लयः एक पैमाने के रूप में है, जसः में वतः तीय प्रतलः भ में वृद्धः अब नवः शकों का एकमात्र उद्देश्य नहीं है।
- वर्ष 2006 में 'युनाइटेड नेशंस प्रसः पिल फॉर रसः पॉनसः बिल इन्वेस्टमेंट' (UNPRI) की शुरुआत के बाद से ESG ढाँचे को आधुनकः वयवसायों की एक अटूट कड़ी के रूप में मान्यता दी गई है।

CSR से अलगः

- भारत में एक मजबूत [कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व \(Corporate Social Responsibility- CSR\)](#) नीतः है जो यह अनवः रय करती है कः नः गः म समाज के कल्याण में योगदान देने वाली पहलों में शामिल हों।
- इस शासनादेश को [कंपनी अधनियम, 2013](#) के वर्ष 2014 और 2021 के संशोधनों के पारतः होने के साथ कानून में संहतः बद्ध कया गया था।
 - संशोधनों में कंपनयों को कसः भी वतः तीय वर्ष में CSR गतवधः यों परपछः ले तीन वर्षों में अपने शुद्ध लाभ का कम-से-कम 2% खर्च करने की आवश्यकता है।
- जबकः ESG नयः म प्रकरयः और प्रभाव में भनः तः हैं।

भारत में ESG की आवश्यकताः

- भारत वायु और जल प्रदूषण, [वनों की कटाई](#) एवं [जलवायु परवर्तन](#) जैसी गंभीर पर्यावरणीय चुनौतयों के साथ ही [गरीबी](#), [असमानता](#), भेदभाव तथा मानवाधिकारों के उल्लंघन जैसी सामाजिक चुनौतयों का सामना कर रहा है, साथ ही इन मुद्दों को संबोधतः करने तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने हेतु समर्पतः कंपनयों में नवः श के महत्त्व पर ज़ोर देता है।
- भारत में एक जटलः वनियामक और कानूनी वातावरण है तथा भारत में काम करने वाली कंपनयों को भ्रष्टाचार, वनियामक अनुपालन एवं कॉरपोरेट प्रशासन से संबंधतः चुनौतयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलयः इन जोखमों को कम करने हेतु मजबूत प्रशासन प्रथाओं वाली कंपनयों को मान्यता देने की आवश्यकता है।

भारत में ESG अनुपालन से संबंधित चुनौतियाँ:

- **सीमिति जागरूकता:** भारत में कई कंपनियों को ESG कारकों के महत्त्व के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है या उनके पास अपने व्यवसाय प्रथाओं में ESG के विचारों को एकीकृत करने हेतु संसाधन नहीं हैं।
- **अपर्याप्त डेटा:** भारत में कंपनियों के लिये ESG कारकों पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा सीमिति हो सकता है, जिससे निवेशकों हेतु ESG प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और निवेश निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है।
- **कमज़ोर नियामक वातावरण:** कंपनियों द्वारा **ESG अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये भारत का नियामक वातावरण पूरी तरह से विकसित या लागू नहीं हो सका है।** इससे कॉर्पोरेट प्रथाओं में जवाबदेही तथा पारदर्शिता की कमी हो सकती है।
- **सांस्कृतिक कारक:** भारत में **विविध सांस्कृतिक परदृश्य** है और **कुछ पारंपरिक व्यावसायिक प्रथाएँ** ESG सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हो सकती हैं। ESG नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये कंपनियों को इन सांस्कृतिक कारकों को नेवगिट करने की आवश्यकता हो सकती है।
- **सीमिति ESG-केंद्रित निवेश विकल्प:** निवेशकों के पास सीमिति निवेश विकल्प हो सकते हैं जो विशेष रूप से भारत में ESG कारकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे निवेश निर्णय लेने में ESG विचारों को पूरी तरह से एकीकृत करना मुश्किल हो जाता है।

ESG अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु की गई पहल:

- कंपनियों के लिये ESG प्रकटीकरण आवश्यकताओं की पहचान करने की दृशा में प्रारंभिक मील के पत्थर में से एक **कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA)** द्वारा वर्ष 2011 में **व्यापार की सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक ज़िम्मेदारियों (NNGs)** पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दृशा-निर्देश जारी करना था।
- सेबी ने वर्ष 2012 में **व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट (BRR)** की स्थापना की, जिसमें बाज़ार पूंजीकरण (जो वर्ष 2015 में शीर्ष 500 सूचीबद्ध संस्थाओं तक वसितारति किया गया था) द्वारा शीर्ष 100 सूचीबद्ध संस्थाओं को अपनी वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में BRR फाइल करने की आवश्यकता थी।
- वर्ष 2021 में SEBI ने मौजूदा BRR रिपोर्टिंग की आवश्यकता को एक व्यापक एकीकृत तंत्र, **व्यावसायिक उत्तरदायित्व और सथरिता रिपोर्ट (BRSR)** के साथ परिवर्तित किया।
 - यह वतित वर्ष 2022-23 से शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध संस्थाओं (बाज़ार पूंजीकरण द्वारा) पर अनविर्य रूप से लागू होगा।
- BRSR, सूचीबद्ध कंपनियों से ESG प्रकटीकरण पर यह मांग करता है कि "उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दृशा-निर्देश" (NGBRCs) के नौ सिद्धांतों की तुलना में उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया।

आगे की राह

- भारत में ESG को प्रोत्साहित करने के लिये व्यवसायों, निवेशकों और नियामकों द्वारा स्थायी निवेश हेतु ESG कारकों के महत्त्व को बेहतर ढंग से समझने की आवश्यकता है।
- भारत में कंपनियों को **ESG कारकों को अधिक व्यापक और सुसंगत तरीके से प्रकट करना चाहिये**, ताकि निवेशक अपने ESG प्रदर्शन का अधिक प्रभावी ढंग से मूल्यांकन कर सकें।
- **व्यवसायों द्वारा बढ़े हुए ESG अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिये** भारत के नियामक ढाँचे को **मज़बूत करने** की आवश्यकता है। इसके लिये उचित ESG मानकों को स्थापित करना, अधिक मज़बूत रिपोर्टिंग की आवश्यकता और वनियमों को अधिक सख्ती से लागू करना आवश्यक हो सकता है।

स्रोत: द हट्टि